फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री शम्भुसिंह **विपक्षी :– सुश्री मीना**

किस्म मुकदमा – विविध **पत्रावली संख्या : 33/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 24.09.2021

पत्रावली बाद दोपहर पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सुन्दरबाई व सुरेन्द्रसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री कल्याणसिंह राव द्वारा जवाब पेश नहीं कर प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाकर मुल प्रार्थना पत्र में निर्णय को अपास्त किया जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना आदेश 9 नियम 13 जा.दी. मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् दिनांक 03.08.21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा न्यायालय में देरी का पर्याप्त कारण होना बताया हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

मूल प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मूल प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 242/11 दिनांक 01.12.2011 को प्रार्थी/विपक्षी सं. 1 की अनुपस्थिति में स्वीकार किया जाकर निर्णय किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/विपक्षी सं. 1 दिनांक 14.11.2011 को अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 के सम्मन का अवलोकन किया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से कराकर रसीद पेश की। पत्रावली में विपक्षी सं. 1 के सम्मन प्राप्ति की प्राप्ति रसीद पेश नहीं हैं। प्रार्थी/विपक्षी सं. 1 का कथन है कि सम्मन उसके सही पते पर प्रेषित नहीं किये गये हैं। जिस वजह से उसे प्रकरण की जानकारी नहीं हो पाई और वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। प्रकरण में विपक्षी के प्राप्ति रसीद व डिलीवरी प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं हैं। जिस आधार पर प्रथम दृष्टया यह समझा जा सकता है कि प्रार्थी को उक्त सम्मन की प्रोपर तामील नहीं हुई हैं। प्रकरण में प्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण एकतरफा निर्णय पारित हो चुका हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी का हित निहित हैं, इसलिए प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रकरण को न्यायहित में कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का 5,00/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण संख्या 242/11 में निर्णय दिनांक 01.12.2011 को अपास्त किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी उक्त राशि जरिये चालान राजकोष में जमा करा रसीद पेश करेगें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.10.05 12:03:45 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली